न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 4008–एक / 14 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–6–2014 पारित द्वारा कलेक्टर, जिला गुना प्रकरण कमांक 6 / स्व.निगरानी / 2012–13.

यदुनाथ सिंह पुत्र बाबू सिंह राजपूत
निवासी ग्राम विलोनिया
तहसील व जिला गुना

.....आवेदक

विरूद्ध

1– मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, जिला गुना
2– दयाराम पुत्र मुतिया मेहतर
3– बाबूलाल पुत्र मुतिया मेहतर
4– गणेशराम पुत्र मुतिया मेहतर
5– लटूरी बाई बेवा मुतिया
6– प्रेमबाई पुत्री मुतिया
7– कमला बाई पुत्री मुतिया
8– वित्ता बाई पुत्री मुतिया
9– श्रीमती सुमित्रा बाई पत्नी बाबूलाल यादव
निवासीगण ग्राम विलोनिया
तहसील व जिला गुना

.....अनावेदकगण

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री राजीव गौतम, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/8/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर, जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–6–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका कमांक 9 सुमित्रा बाई पत्नी बाबूलाल यादव द्वारा माधव सिंह पुत्र यदुनाथ सिंह के माध्यम से जनसुनवाई में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम विलोनिया तहसील गुना स्थित भूमि सर्वे कमांक 177 रकबा 0.679 हेक्टेयर भूमि उसके द्वारा दयाराम वगैरह से दिनांक 1–2–99 को कय की गई है, परन्तु राजस्व अभिलेखों में नामांतरण नहीं होने से उसका नामांतरण किया जाये । उक्त आवेदन पत्र जॉच हेतु तहसीलदार, गुना को भेजा गया । तहसीलदार द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से दिनांक 5–10–2012 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि वर्तमान खसरे में दयाराम, बाबूलाल, गणेशराम, इन्ना, प्रेम एवं कमला के नाम दर्ज होकर कॉलम नं. 12 में प्रतिबंधित दर्ज है एवं जिल्द बंदोबस्त वर्ष 1957–58 में सर्वे कमांक 177, 31 भार–1 94 दर्ज है । उक्त भूमि का विकय दिनांक 1–2–99 को सुमित्रबाई पत्नी बाबूलाल यादव को कर दिया गया है, अतः संहिता की धारा 165 (7–ख) का उल्लंघन होने से पट्टा निरस्त किया जाये । प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर, जिला गुना द्वारा प्रकरण कमांक 6/स्व.निगरानी/2012–13 दर्ज कर दिनांक 23–6–2014 को आदेश पारित कर पट्टे की शर्तों का उल्लंघन होना पाते हुए प्रश्नाधीन भूमि शासकीय दर्ज करने के आदेश दिये गये । कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि विकेताओं द्वारा कय किये जाने के 10 वर्ष पश्चात विकय की गई है, इसलिए संहिता की धारा 165 (7–ख) के अंतर्गत कलेक्टर की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि के विकेतागण भूमिस्वामी हो गये हैं इसलिए भी संहिता की धारा 165 (7–ख) का उल्लंघन नहीं हुआ है । इस आधार पर कहा गया कि कलेक्टर द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं अनुचित होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पट्टे की भूमि है, और पट्टे की भूमि बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के विकय नहीं की जा सकती है, परन्तु अनावेदक कमांक 2 लगायत 9 द्वारा बिना कलेक्टर की अनुमति के प्रश्नाधीन भूमि का विकय किया गया है, अतः पट्टे की शर्तों

का उल्लंघन होने से पट्टा निरस्त करने में कलेक्टर द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई है, इसलिए कलेक्टर का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण में संलग्न खसरों को देखने से स्पष्ट है कि खसरे के कॉलम नं. 12 में प्रश्नाधीन भूमि विक्रय से प्रतिबंधित दर्ज है, इसके बावजूद भी अनावेदक कमांक 2 लगायत 9 द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय कर दिया गया है । स्पष्ट है जहां अनावेदक कमांक 2 लगायत 9 द्वारा पट्टे की शर्तों का उल्लंघन किया गया है, वहीं संहिता की धारा 165 (7–ख) के उल्लंघन में भी कार्यवाही की गई है, ऐसी स्थिति में कलेक्टर द्वारा पट्टा निरस्त किया जाकर प्रश्नाधीन भूमि शासकीय दर्ज करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, इसलिए उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर, जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–6–2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर